

वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च, 2017-फाल्गुन 12, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं जास्वंदी बेडेकर पुत्री श्री श्रीकृष्ण बेडेकर निवासी-97/A बृज विहार कॉलोनी, इन्दौर मध्यप्रदेश यह कि मेरी पुत्री का नाम पहले प्रवरा देशपांडे था किन्तु अब मैंने प्रवरा देशपांडे के स्थान पर नया नाम प्रवरा बेडेकर पुत्री जास्वंदी बेडेकर कर लिया है।

अतः अब मेरी पुत्री को भविष्य में प्रवरा बेडेकर पुत्री जास्वंदी बेडेकर के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

(702-बी.)

जास्वंदी बेडेकर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र नसीब नारायण दर्ज था। जबकि वर्तमान में सभी शासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री नसीब नारायण दर्ज है जो कि दोनों नाम मेरे ही हैं। जिन्हे भविष्य में सुरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री नसीब नारायण के नाम से जाना जायें।

पुराना नाम :

नया नाम :

(सुरेन्द्र कुमार)

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

पता-ए. एम.-72 के सामने,
दीनदयाल नगर ग्वालियर,

(703-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मेरा नाम समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में राजू सिंह अंकित है. जबकि द्वारा ऐफीडेविट 25 फरवरी, 1998 से मैंने अपना नाम बदलकर प्रभाकर राजपूत पुत्र श्री संदेर सिंह नवरिया कर लिया है. भविष्य में मुझे प्रभाकर राजपूत के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(राजू सिंह)

(704-बी.)

नया नाम :

(प्रभाकर राजपूत)

250, सिंद्धेश्वर नगर मुरार,

ग्वालियर-474006

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मुझ पियुष कुमार जैन को पियुष कुमार पोरवाल नाम से जाना, पहचाना जाता था, किन्तु अब भविष्य में मुझे पियुष कुमार जैन के नाम से जाना, पहचाना जावेगा एवं मुझे पियुष कुमार जैन पिता हस्तीमल जी जैन के नाम से ही पुकारा जावे.

पुराना नाम :

(पियुष कुमार पोरवाल)

(705-बी.)

नया नाम :

(पियुष कुमार जैन)

निवासी-103 शान्तनु विहार, रोड नं. 2

मंदसौर, जिला-मंदसौर.

नाम सुधार

मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम Sudhender Kumar एवं कुछ में Sudhender Kumar लिखा हुआ है, इसे में सभी जगह एक समान सही व उपनाम सहित करना चाहता हूं, अतः अब से सभी जगह एक समान व पूरा नाम Sudhender Kumar Mithaniya लिखा, पढ़ा जावे.

OLD NAME :

(Sudhender Kumar/Sudhander Kumar)

(706-बी.)

NEW NAME :

(Sudhender Kumar Mithaniya)

Flat No. 303., Dutt Avenue

Napier town, Jabalpur.

नाम परिवर्तन

मेरा नाम गोविन्दप्रसाद अग्रवाल है एवं मेरी जन्म दिनांक 16 दिसम्बर, 1958 है, जबकि मेरी अंकसूची में मेरा नाम गोविन्दप्रसाद एवं जन्म दिनांक 16 दिसम्बर, 1952 लिखी हुई है. मेरी एक अंकसूची को छोड़कर मेरे अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा सम्पूर्ण विवरण सही दर्ज है. अतः सभी जगह मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही विवरण दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :

(गोविन्दप्रसाद)

(707-बी.)

नया नाम :

(गोविन्दप्रसाद अग्रवाल)

नर्मदा कॉलोनी खातेगांव,

जिला-देवास.

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार मेसर्स. यूनिकॉन कन्स्ट्रक्शन एण्ड इंटीरियर्स जिसका पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाये भोपाल में पंजीयन क्र. 01/01/01/0410/16 दिनांक 09 फरवरी, 2016 के साझेदार सैयद यूसुफ अशफाक एवं मोहम्मद शामीम खान के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेसर्स. यूनिकॉन कन्स्ट्रक्शन एण्ड इंटीरियर्स भागीदार क्र. (1) सैयद यूसुफ अशफाक (2) मोहम्मद शामीम खान हैं जिसमें कि दिनांक 12 जुलाई, 2016 को साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया है जिसमें संजय कुमार बुखारिया पिता श्री अशोक कुमार बुखारिया निवासी न्यू शांती नगर वार्ड क्र. 31 शंकर नगर रायपुर (छ. ग.) के भागीदार के रूप में सम्मिलित/शामिल किया है उक्त साझेदार भागीदार क्र. 03 कहलायेगा उक्त भागीदारी संशोधन विलेखानुसार नये साझेदार को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होंगे.

(708-बी.)

एन. के. साहू,

(अधिवक्ता),

एफ-9, एलाईंड काम्पलेक्स मोती मस्जिद के सामने,
भोपाल.

NOTICE**NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given for public information that Smt. Raksha Gupta W/o Shri Girish Kumar Gupta has retired From the Partnership business as partner of the firm named M/s KARTIK ENTERPRISES, 101, RADHA KRISHNA APPARTMENT, 76, BIMA NAGAR, Indore (M. P.) Vide regn No. IF/18/02-03 dated 28-05-2002 year. 2002-03 ad from 01-04-2009 & Miss Palak Gupta D/o Shri Krishna Gopal Gupta have been admitted in the Partnership business of the said firm as a firm stands altered accordingly. The firm have shifted their principal place of business from LG-20, Urvashi COMPLEX, 3 JAORA COMPOUND, INDORE TO 101, RADHA KRISHNA APPARTMENT, 76, BIMA NAGAR, INDORE.

For M/s KARTIK ENTERPRISES
KRISHNA GOPAL GUPTA,

(709-बी)

(Partner).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म अमृथारा डेवलपर्स का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था जिसका प्रमाण-पत्र क्र. 01/01/01/00505/14 दिनांक 28 फरवरी, 2014 था. जिसका कार्यालय पूर्व में शाप नं. 2 सैकण्ड फ्लोर अलार्क काम्पलेक्स, लालघाटी स्कवायर भोपाल था जो कि वर्तमान में स्थानान्तरित होकर ए-110 कृष्णाचल अपार्टमेन्ट, परि बाजार भोपाल गेट के पास, भोपाल गया है. साथ ही उपरोक्त फर्म में निम्न पार्टनर क्रमशः: (1) सुनील कुमार जैन आ. श्री देवचन्द्र जैन निवासी रघुनाथगंज पोस्ट ऑफिस के सामने, कटनी मध्यप्रदेश व (2) श्रीमती सरिता जैन पत्नि श्री सुनील कुमार जैन निवासी रघुनाथ गंज पोस्ट ऑफिस के सामने, कटनी मध्यप्रदेश व (3) चन्द्रप्रकाश लालवानी आ. स्व. श्री दयाराम लालवानी निवासी 53, बी. डी. ए. कॉलोनी टीलाजमालपुरा भोपाल मध्यप्रदेश रिटायर्ड हो चुके हैं. और दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से अन्य दो पार्टनर क्रमशः: (1) राजकुमार जैन आ. श्री तेज कुमार जैन निवासी 127 जैन नगर लालघाटी, भोपाल मध्यप्रदेश एवं (2) चिराग सिंघई आ. श्री चन्द्रकुमार सिंघई निवासी 54, गिरधर नगर, तिलक नगर के पास, इन्दौर मध्यप्रदेश फर्म में सम्मिलित हुए हैं. यह आमसूचना फर्म के नये पते या पुराने तीनों पार्टनरों के रिटायर्ड होने और दो अन्य नये पार्टनरों के फर्म में सम्मिलित होने के संबंध में प्रकाशित किया जा रहा है.

संदीप कुमार जैन,
(भागीदारी).

(710-बी.)

मैसर्स अमृतधारा डेवलपर्स, भोपाल.

आम सूचना

मैसर्स एस. एस. एकवा मिनिरल वाटर उद्योग विहार चोरहटा, रीवा जिसका पंजीयन क्रमांक-05/22/03/00185/12 दिनांक 16 मार्च, 2012 को सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थायें रीवा से पंजीकृत था जो कि दिनांक 07 फरवरी, 2017 को पार्टनरों की आपसी सहमति एवं स्वेच्छा से विघटित किया जा रहा है.

संदीप गुप्ता,
(पार्टनर).

(711-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स शिवशक्ति कान्सट्रक्शन्स कोठी, जिला सतना से दिनांक 23 मई, 2009 से पार्टनर श्री आर. सी. वर्मा को पृथक किया जाता है तथा पार्टनर श्री अवधेन्द्र सिंह को शामिल किया जाता है, शेष पार्टनर यथावत् फर्म में बने रहेंगे. उक्त फर्म में ही दिनांक 13 जुलाई, 2011 को हुये परिवर्तन में पार्टनर श्री सौरभ सिंह एवं श्री अवधेन्द्र सिंह को दिनांक 13 जुलाई, 2011 से पृथक कर दिया गया है, शेष पार्टनर यथावत् फर्म में बने रहेंगे.

विपिन सिंह,
(पार्टनर).

(712-बी.)

सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के धारा-72 के तहत्

सर्व-साधारण की सूचना हेतु यह जानकारी प्रकाशित की जा रही है कि, हमारी भागीदारी फर्म मेसर्स सन रियल्टी का पंजीकृत पता 2/2, साउथ तुकोगंज सिल्वर माल के पास, तहसील व जिला इन्दौर मध्यप्रदेश दिनांक 16 मई, 2013 से परिवर्तित कर एम-1, बी. सी. एम. हाईट्स, श्री बादलचंद मेहता मार्ग, स्कीम क्रमांक 54, इंदौर मध्यप्रदेश कर दिया गया है।

फोर सन रियल्टी.

राजेश मेहता,

(पार्टनर)

(713-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री साई इण्डस्ट्रीज जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/00486/2013 जिसका पता शॉप नं. 23, द्वितीय तल, एलाइंड काम्पलेक्स इब्राहिमपुरा भोपाल के नाम से पंजीयत है उक्त फर्म से श्री शोएब खॉन पिता श्री अयूब खॉन निवासी बी-461, इन्द्र विहार कालोनी एयरपोर्ट रोड, भोपाल ने दिनांक 16 जनवरी, 2017 को उक्त फर्म से अपनी स्वेच्छा से निर्वर्तन (रिटायरमेंट) ले लिया है एवं रिटायरमेंट डीड का निष्पादन किया है अब इनका उक्त फर्म से कोई लेना देना नहीं है। न ही उनका उक्त फर्म से कोई हित निहित है। एवं शेष बचे साझोदारों द्वारा नवीन साझोदारी का निष्पादन किया गया है। अतः सभी को सूचित किया जाता है कि श्री शोएब खॉन पिता श्री अयूब खॉन निवासी बी-461, इन्द्र विहार कॉलोनी एयरपोर्ट रोड, भोपाल का उक्त फर्म से कोई लेना देना नहीं है न ही वह उक्ता फर्म में साझेदार है। उक्त संबंध में किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर मय दस्तावेज मेरे कार्यालय में आपत्ति करे अन्यथा समय अवधि पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति पक्षकारी फर्म पर बंधनकारी नहीं होगी। वह अमान्य मानी जायेगी।

वसीम कुरैशी,

(अधिवक्ता)

एफ-7, एलाइंड काम्पलेक्स,
मोती मस्जिद के सामने, भोपाल।

(714-बी.)

JAHIR SUCHNA

According to Provisions of Partnership Act, 1932 we are intimate to general public firm that M/s GOVIND PRASAD AGRAWAL, 181 LAKKAR PITHA, RATLAM Registration No. 07/37/01/00023/04 of 2004-05 Registration dated 04/09/2004 had following changes in the firm:-

Name and Full Address of the incoming partner and date of his/her joining the Firm	Name and Full Address of the outgoing partner and date of his/her ceasing to be partner
1. Hitesh Kumar S/o Shri Gajanand Bansal R/o 82, Agrawal Nagar , Indore Age 24 years @ in 1999 w.i.f 1/4/1999.	1.Hitesh Kumar S/o Shri Gajanand Bansal R/o 82, Agrawal Nagar , Indore Age 26 years @ in 2001 w.i.f 1/4/2001.
2. Ankit Kumar S/o Shri Gajanand Bansal R/o 82, Agrawal Nagar, Indore Age 21 years @ in 1999 w.i.f 1/4/1999.	2. Vipin Kumar S/o Shri Babulalji Bansal R/o 82, Agrawal Nagar, Indore Age 31 years @ in 2001 w.i.f 1/4/2001.
3. Gourav Kumar S/o Shri Govind Prasad Agrawal R/o 181, Lakkar Pitha Ratlam Age 20 years @ in 2000 w.i.f 1/4/2000.	3. Nitin Kumar S/o Shri Babulalji Bansal R/o 82, Agrawal Nagar, Indore Age 29 years @ in 2001 w.i.f 1/4/2001.
4. Sapan Bansal S/o Shri Gajanand Bansal R/o 82, Agrawal Nagar, Indore Age 21 years @ in 2001 w.i.f 1/4/2001.	4. Govind Prasad Agrawal S/o Shri Shrinivas Agrawal R/o 181, Lakkar Pitha Ratlam age 51 years @ in 2003 w.e.f 19/10/2003 due to death.
5. Munni Devi Agrawal W/o Shri Govind Prasad Agrawal R/o 181, Lakkar Pitha Ratlam Age 47 years @ in 2003 w.e.f 22/10/2003.	5. Munni Devi Agrawal W/o Shri Govind Prasad Agrawal R/o 181, Lakkar Pitha Ratlam Age 49 years @ in 2005 w.e.f 04/04/2005.
6. Megha Agrawal D/o Shri Govind Prasad Agrawal R/o 181, Lakkar Pitha Ratlam Age 20 years @in 2005 w.e.f 04/04/2005.	6. Ankit Kumar S/o Shri Gajanand Bansal R/o 82, Agrawal Nagar, Indore Age 30 years @ in 2008 w.i.f 2/4/2008.
	7. Sapan Bansal S/o Shri Gajanand Bansal R/o 82, Agrawal Nagar, Indore Age 28 years @ in 2008 w.i.f 2/4/2008.

For Agrawal Jhawar Associates

DHARMENDRA AGRAWAL,

(Partner).

205 Panama Power,

Geeta Bhawan Square,Indore-452001

(715-B)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स प्रगति ट्रांसपोर्ट कम्पनी जिसका पता बरनु तिराहा, एन. एच.-7 ग्राम गोसलपुर, सिहोरा, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश एवं पंजीयन क्रमांक 04/14/01/00241/10 सन् 2010-11 दिनांक 11 नवम्बर, 2010 पंजीयन फर्म है, में से दिनांक 01 अप्रैल, 2012 को सुधांसु देवा पिता स्व. उपेन्द्र देवा निवासी 1050, पंचपेढ़ी साउथ सिविल लाइन जबलपुर मध्यप्रदेश फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। दिनांक 03 जुलाई, 2015 को भागीदार आशीष कुमार खेतान पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र कुमार खेतान निवासी सी. के. 14/12 नंदन साहू लेन चौक वाराणसी यू. पी. अपनी स्वेच्छा पूर्वक फर्म से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 03 जुलाई, 2015 को समृद्ध अग्रवाल पिता श्री अजय अग्रवाल निवासी ई-13, गार्डन विला, कचनार सिटी विजय नगर, जबलपुर मध्यप्रदेश फर्म में नए भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं दिनांक 03 जून, 2016 को (1) श्री विनीत जैन पुत्र स्व. श्री प्रकाश कुमार जैन निवासी 81, विवेकानंद मार्ग, इलाहाबाद, यू. पी. (2) श्री संदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रामजीदास अग्रवाल निवासी सी. के. 51/8, विध्यांचल लैन, रेशम कट्टा चौक वाराणसी यू. पी. (3) श्री संजय अग्रवाल पुत्र स्व. श्री विजय कुमार अग्रवाल निवासी 270, मढ़ा फाटक, जबलपुर मध्यप्रदेश (4) श्री आनंद गर्ग पुत्र श्री एच. के. गर्ग निवासी प्लॉट नं. 7, कंचन एवेन्यू तुलसी नगर 36, जबलपुर मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छापूर्वक फर्म से पृथक हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो।

फर्म प्रगति ट्रांसपोर्ट कम्पनी
समृद्ध अग्रवाल,
(भागीदार)

(716-बी.)

NOTICE

NOTIFICATION U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

It is to Published for general information that Shri Pankaj Raj Singh S/o Hari Raj Singh Post Purni Village Bijora Mafi The Punasa Distt. Khandwa (M. P.) has retired on 01/11/2013 the firm M/s Pal Associates Purni House Padawa Road Khandwa (M. P.) and Shri Uttampal Singh S/o Rajnarayan Singh Sector 1 House No. 16 Lavkush Nagar Khandwa (M. P.) of have Joined as a New Partner on 01/11/2013 is the Firm M/s Pal Associates Purni House Padawa Road Khandwa (M. P.) Distt. Khandwa (M. P.).

For Pal Associates
MAHIPAL SINGH,
(Partner).

(717-B)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म मैसर्स पंडित इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्र. 04/17/01/00222/10 दिनांक 23/10/2010 है। इस फर्म से दिनांक 01/04/2014 से एक भागीदार (1) श्री संतोष दुबे पिता श्री स्व. दुल्लीचंद दुबे निवासी छिलमिली तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में चार भागीदार दिनांक 01/04/2014 से (1) श्री हेमन्त शर्मा पिता श्री विषेश कुमार शर्मा निवासी न्यू एक्टेक्शन एरिया तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) (2) श्री विवेक शर्मा पिता श्री विषेश कुमार शर्मा निवासी न्यू एक्टेक्शन एरिया तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) (3) श्रीमति सीमा शर्मा पति श्री हेमन्त शर्मा निवासी न्यू एक्टेक्शन एरिया तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) (4) श्रीमति रचना शर्मा पति श्री विवेक शर्मा निवासी न्यू एक्टेक्शन एरिया तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) शामिल हो रहे हैं। एवं संशोधन उपरान्त भागीदारी फर्म में भागीदार क्र. 1 का भागीदारी प्रतिशत 40% एवं भागीदार क्र. 2 का भागीदारी प्रतिशत 20% एवं एवं भागीदार क्र. 3 का भागीदारी प्रतिशत 20% एवं भागीदार क्र. 4 का भागीदारी प्रतिशत 20% होगा। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01/04/2014 से संशोधन उपरान्त चार साझेदार रहेंगे। उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस प्लेटो क्लब काम्पलेक्स शुक्ला कंपाउड के पास तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) स्थित है। सर्व-साधारण को सूचना हेतु जारी।

फर्म पंडित इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी,
हेमन्त शर्मा,
(भागीदार).

(718-बी.)

छिन्दवाड़ा.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर (फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(3) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री आरोग्य सेवा समिति (ट्रस्ट) पता-106, संविद नगर कनाडिया मेन रोड, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री रामेश्वरम् तीर्थ गुरु ब्रह्मलीन श्री तन्मय प्रभु तीर्थ पता श्री आरोग्य सेवा समिति, श्री तन्मयधाम, थापना, औंकारेश्वर मध्यप्रदेश के द्वारा श्री आरोग्य सेवा समिति (ट्रस्ट) कार्यालय पता-106, संविद नगर, कनाडिया मेन रोड इन्दौर जिला इन्दौर. मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री आरोग्य सेवा समिति (ट्रस्ट).
पता	:	106, संविद नगर, कनाडिया मेन रोड, इन्दौर.
अचल संपत्ति	:	निरंक.
चल संपत्ति	:	चल संपत्ति 5,000/- (अक्षरी रूपये पाँच हजार मात्र) है।

आज दिनांक 17 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(855)

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन

राजस्व. 3/बी-113(1)/2016-17

प्रो.क्र.55/16-17

(प्रारूप चार)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 का तीसवां संशोधन की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 का नियम-5(1) देखिए]

आवेदकगण न्यासकर्ता "कामधेनु गौ सेवा ट्रस्ट" खरगोन द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास के पंजीयन हेतु अधिनियम की धारा-4 के अधीन पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः जो भी व्यक्ति इस न्यास के संबंध में या संपत्ति के बारे में हित रखता हो या जो प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन से 30 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें और मेरे समक्ष स्वयं या अधिकृत अभिकर्ता/अधिकर्ता वक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, उपरोक्त अवधि के पश्चात् की गई आपत्ति या सुझाव आदि पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(अचल संपत्ति व चल संपत्ति का विवरण)

निरंक

आज दिनांक 02 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

(856)

महेन्द्रसिंह कवचे,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर, जिला बड़वानी

रा.प्र.क्र. 1/बी-113/2016-17

फार्म नं.-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5(1) के अन्तर्गत]

नोटिस

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष

आवेदक भगवान पिता ओंकार जी निवासी ठीकरी, तहसील ठीकरी, अध्यक्ष, गायत्री परिवार ट्रस्ट ठीकरी द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत गायत्री परिवार ट्रस्ट, ठीकरी के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करे। नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 12 जनवरी, 2017 को मेरे समक्ष एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

बी. एस. कलेश,

(857)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास, नीमच

09 जनवरी, 2017

नियम-5(1) देखिए

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 60) की धारा-5 उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5(1) देखिए]

प्रारूप-चार

चूंकि श्री यशवंत पिता चौथमल बंसल 44, सत्यपथ, दाना गली नीमच, जिला नीमच, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है।

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06 फरवरी, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा।

काई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है।

अतः मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 06 फरवरी, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	"श्रीमती चन्द्रदेवी यशवंत बंसल पारमार्थिक ट्रस्ट, नीमच."
पता	:	44, सत्यपथ दाना गली, नीमच, जिला नीमच मध्यप्रदेश.
अचल संपत्ति	:	निरंक.
चल संपत्ति	:	रु. 11,000/- (अक्षरी रूपये ग्यारह हजार मात्र)

आदित्य शर्मा,
पंजीयक।

(858)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, नौगांव, जिला छतरपुर

प्रक्र./01/बी-113/2016-17

नौगांव, दिनांक 10 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री जिनेन्द्र कुमार जैन अध्यक्ष पाश्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर,
लोक न्यास ट्रस्ट हरपालपुर,
जिला-छतरपुर, मध्यप्रदेश

आवेदक

बनाम्

शासन मध्यप्रदेश

आवेदक श्री जिनेन्द्र कुमार जैन तनय भागचन्द्र जैन निवासी हरपालपुर द्वारा श्री 1008 पाश्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर लोक न्यास ट्रस्ट, हरपालपुर को लोक न्यास अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास एवं उक्त संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति/दावा पेश करना चाहता है वह इस इश्तहार के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस में स्वयं या अभिभाषक/अधिकृत मुख्यालय के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

1. न्यास का नाम व पता : श्री 1008 पाश्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर लोकन्यास ट्रस्ट हरपालपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश।
2. न्यास की प्रकृति व उद्देश्य : धार्मिक प्रकृति एवं उद्देश्य मानव जाति में शांति व सद्भाव हेतु प्रचार व प्रयास।
धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन।
जनकल्याण एवं समाज कल्याणकारी कार्य।
न्यास की उन्नति एवं सम्पत्ति की सुरक्षा एवं रखरखाव, अन्य धर्मों के प्रति सम्मान एवं श्रद्धाभाव हेतु प्रसार व प्रचार।
3. न्यास का मुख्य कार्यालय : न्यास का मुख्य कार्यालय श्री 1008 पाश्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर परिसर कस्बा व पोस्ट ऑफिस हरपालपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश होगा।
4. कार्यकारी समिति के पदाधिकारी के नाम व पते. : अध्यक्ष : श्री जिनेन्द्र कुमार जैन आयु 68 साल पुत्र स्व. श्री भागचन्द्र जैन निवासी हरपालपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश।
उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द्र जैन आयु 64 साल पुत्र स्व. श्री छोटेलाल जैन निवासी हरपालपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश।
सचिव : श्री पवन कुमार जैन आयु 35 साल पुत्र श्री संतोष कुमार जैन निवासी हरपालपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश।
सहसचिव : श्री राहुल जैन आयु 35 साल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन निवासी हरपालपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश।
कोषाध्यक्ष : श्री नीलेश जैन आयु 36 साल पुत्र अंश कुमार जैन निवासी हरपालपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश।
5. न्यासधारी या प्रबंधक के उत्तराधिकारी की रीति. : सर्वमंति या निर्वाचन द्वारा।
6. न्यास की आय के श्रोत : दान, चन्दा एवं अन्य वैथ मदों से।
7. न्यासी अथवा प्रबन्धक को भेजी जाने वाली सूचना का पता. : कण्ठका तीन में संविधान में लेख न्यास के कार्यालय के पते पर।

आज दिनांक जनवरी 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57-सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया हैं—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन	परिसमापन का आदेश
		क्रमांक/दिनांक	क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	करुणा ग्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., ग्वालियर.	750/26-08-1994	430/17-03-2015
2.	ग्वालियर बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	72/02-06-1989	430/17-03-2015
3.	मुद्रण लेखन प्रकाशन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	414/02-06-1988	430/17-03-2015
4.	तिलहन उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., बरई	538/31-03-1990	430/17-03-2015
5.	सर्वोदय मत्स्यो सहकारी संस्था मर्या., तिघरा	..	3038/28-12-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीकृत निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

अजय दुबे,

(659)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57-सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया हैं—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन	परिसमापन का आदेश
		क्रमांक/दिनांक	क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	सर्वजन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	AR/GWR/985/04 अप्रैल, 2009	3039/28 दिसम्बर, 2016

सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, जिला रबालियर से कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीकृत निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

के. सी. शर्मा,

(660)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झाण्ड

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झाण्ड, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 22, दिनांक 22 अप्रैल, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(663)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घोरकाट

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घोरकाट, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 52, दिनांक 07 मई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित

होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(664)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अबेर

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अबेर, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 53, दिनांक 07 मई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(665)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अकौना

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्था में नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अकौना, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 63, दिनांक 07 मई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(666)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मतहा

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मतहा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 110, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(667)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लौलाछ

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लौलाछ, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 111, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(668)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खम्हरिया

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खम्हरिया, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 112, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(669)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पड़खुरी

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पड़खुरी, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 114,

दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(670)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरवा

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरवा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 115, दिनांक 16 जुलाई, 2004 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(671)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तपा

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तपा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 116, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(672)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोहनिया

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोहनिया, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 113, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(673)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गाड़ा

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गाड़ा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 122, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(674)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकिया बैलो

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकिया बैलो, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 126, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

एन. पी. शर्मा,

परिसमापक.

(675)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अतरौरा

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अतरौरा, तहसील उचेहरा, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 187, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(676)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इंचौल

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इंचौल तहसील उचेहरा, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 164, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(677)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिहटा

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिहटा, तहसील उचेहरा, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 163, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(678)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमरदरी

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमरदरी, तहसील उचेहरा, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 160, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(679)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुढ़ा

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुढ़ा, तहसील उचेहरा, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 161, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(680)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सहिजना उबारी

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सहिजना उबारी, तहसील उचेहरा, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 158,

दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(681)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोरवारा

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोरवारा, तहसील उचेहरा, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 151, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(682)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनिकपुर

दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./2017/क्यू।—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनिकपुर, तहसील उचेहरा, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 165, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(683)

एन. एल. गर्ग,
परिसमापक।

कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला-सतना

सतना, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/1759.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2015/1240 सतना, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा दुर्घट सहकारी समिति मर्या., अकौना विकासखण्ड.....जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी, सह.निरी. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक सहकारी समितियां, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ. 5-1799-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दुर्घट सहकारी समिति मर्या., अकौना, वि. ख. नागौद, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 657, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(662)

कार्यालय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला-सतना

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., असरार जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., असरार पंजीयन क्र. 30, दिनांक 22 अप्रैल, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री ठाकुर प्रसाद, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियां एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(693)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा महान्त बाबा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहनिया जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत महान्त बाबा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहनिया पंजीयन क्र. 113, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियां एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(694)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाड़ा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाड़ा पंजीयन क्र. 122, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(695)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा महात्मा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बकिया बैलो जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत महात्मा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बकिया बैलो पंजीयन क्र. 126, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(696)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा पं. दीनदयाल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गजिगंवा II जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत पं. दीन दयाल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गजिगंवा II पंजीयन क्र. 127, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री ठाकुर प्रसाद, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(697)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बड़े देव बोज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, अमगार जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बड़े देव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, अमगार पंजीयन क्र. 142, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(698)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/706, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा श्री बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पदमी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत श्री बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पदमी पंजीयन क्र. 200, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तिवृत्तों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(699)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/706, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा न्यू ग्रामीण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, पचौहा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत न्यू ग्रामीण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, पचौहा पंजीयन क्र. 141, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(700)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/706, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा आस्था बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कलहारी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आस्था बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कलहारी पंजीयन क्र. 104, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(701)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/706, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खेरूआ जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खेरूआ पंजीयन क्र. 184, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(702)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/....., दिनांक..... द्वारा गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कर्रा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कर्रा पंजीयन क्र. 193, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. के. गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(703)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/706., दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा अम्बे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुलखमा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत अम्बे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुलखमा, पंजीयन क्र. 199, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. के. गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(704)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/706., दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, चौपड़ा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. चौपड़ा पंजीयन क्र. 177, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तित्वों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(705)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/706., दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा सिद्ध बाबा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमिलिया जिससे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत सिद्ध बाबा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, अमिलिया पंजीयन क्र. 212, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमाप्त में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरसी की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मद्दा से जारी किया गया है।

(706)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702., दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा पशुपतिनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादा, हरमल्ला जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमाप्त में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत पशुपतिनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या
, हरमल्ला पंजीयन क्र. 101, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सुजीत
सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के
परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से
किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्याबाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702., दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौरहा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौरहा पंजीयन क्र. 117, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री ठाकुर प्रसाद, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(708)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702., दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिथौरागढ़ जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं:

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिथौरांगन क्र. 118, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री ठाकुर प्रसाद, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियाँ एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(709)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झुड़हा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमाप्त में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. डुडहा पंजीयन क्र. 188, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री ठाकुर प्रसाद, व. सह. निरा. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(716)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिजहटी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिजहटी पंजीयन क्र. 191, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री ठाकुर प्रसाद, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(717)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरहा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरहा पंजीयन क्र. 203, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(718)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बांधी नयागांव जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कछु नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बांधी नयागांव, पंजीयन क्र. 205, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह, सह. निरि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तित्वों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(719)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मचखड़ा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मचखड़ा पंजीयन क्र. 213, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह, सह. निरि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यावाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(720)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुडगंवा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुडगवां पंजीयन क्र. 214, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(721)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उजैनी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उजैनी, पंजीयन क्र. 218, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(722)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कलवलिया जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कछु नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कलवलिया, पंजीयन क्र. 219, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(723)

सत्त्वा दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यपदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरौं, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मात्र है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरौं पंजीयन क्र. 50, दिनांक 07 मई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन नियमी की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2016 को से हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मद्दा से जारी किया गया है।

(724)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, चौरा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौरा, पंजीयन क्र. 123, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह, सह. निरा. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तित्वों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(725)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरहा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरहा, पंजीयन क्र. 125, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(726)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झारी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झरी, पंजीयन क्र. 208, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह, सह. निरा. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(727)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बोज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, सुकवाह जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुकवाह, पंजीयन क्र. 215, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(728)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पालदेव जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पालदेव, पंजीयन क्र. 216, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मद्दा से जारी किया गया है।

(729)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ओबरा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ओबरा, पंजीयन क्र. 172, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. के. गुप्ता सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्वेशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(730)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बोज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, देऊ जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमाप्त में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देऊ, पंजीयन क्र. 173, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. के. गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तित्वों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(731)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महुडर जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कछुनहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महुडर, पंजीयन क्र. 174, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. के. गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(732)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यपदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बौद्धिक जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., व्यौहारी, पंजीयन क्र. 185, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(733)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., से मरी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरी, पंजीयन क्र. 186, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. के. गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(734)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझगंवाखुर्द जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कछु नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझगंवाखुर्द, पंजीयन क्र. 190, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. के. गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तित्वों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(735)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सलैया जिससे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सलैया, पंजीयन क्र. 140, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. ए.ल. कमरानी, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तित्वों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(736)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करतहा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करतहा, पंजीयन क्र. 143, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. एल. कमरानी, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(737)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बद्रेगंज जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बद्रेग, पंजीयन क्र. 144, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. एल. कमरानी, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मद्दा से जारी किया गया है।

(738)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादा, धनवाही खुर्द जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ—सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ—सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ—सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कछु नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनवाही खुर्द, पंजीयन क्र. 145, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. एल. कमरानी, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है. साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(739)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खोधिरा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमाप्त में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खोधिरा, पंजीयन क्र. 146, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. एल. कमरानी, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(740)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरी फिकरी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरी फिफरी, पंजीयन क्र. 147, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(741)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वेल्डरा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वेल्डरा, पंजीयन क्र. 148, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. एल. कमरानी, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तित्वों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(742)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नरौरा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौरौ, पंजीयन क्र. 151, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. ए.ल. कमरानी, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(746)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोरबारा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोरवारा, पंजीयन क्र. 157, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. एल. गर्ग, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(747)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सहिजना उबारी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कछु नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सहिजना उबारी, पंजीयन क्र. 158, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. एल. गर्ग, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है. साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(748)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमदरी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमदरी, पंजीयन क्र. 160, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. एल. गर्ग, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन नियरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(749)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुदा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं बर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुढ़ा, पंजीयन क्र. 161, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. एल. गर्ग, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(750)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यपदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिहार जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिहटा, पंजीयन क्र. 163, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. एल. गर्ग, सह. निरि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(751)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इंचैल जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इंचौल, पंजीयन क्र. 164, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. एल. गर्ग, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(752)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनिकपुर जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनिकपुर, पंजीयन क्र. 165, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. एल. गर्ग, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तित्वों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(753)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अतर्रौरा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अतरौरा, पंजीयन क्र. 187, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. एल. गर्ग, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है. साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तित्वों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(754)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महेदर जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमाप्तन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महेदर पंजीयन क्र. 136, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(761)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अजबाइंन जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अजवाइन पंजीयन क्र. 137, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तित्वों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(762)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जरियारी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जरियारी पंजीयन क्र. 138; दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(763)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पलौहा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पलौहा पंजीयन क्र. 139, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सह. निरि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(764)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंशीपुर जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंशीपुर पंजीयन क्र. 58, दिनांक 07 मई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(765)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टेढ़ी पतसनियां जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टेढ़ी पतसनिया पंजीयन क्र. 217, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(766)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोबरांवखुर्द जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कछु नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोबरांवखुर्द पंजीयन क्र. 162, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(767)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बाबूपुर जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बाबूपुर पंजीयन क्र. 156, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(768)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पतौरा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पतौरा पंजीयन क्र. 11, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(769)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवगुना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवगुना पंजीयन क्र. 17, दिनांक 22 अप्रैल, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियाँ एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(770)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बाबूपुर II जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कछु नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बाबूपुर II पंजीयन क्र. 37, दिनांक 22 अप्रैल, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सह. निरा. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यावाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(771)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरहूत जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरहूत पंजीयन क्र. 55, दिनांक 07 मई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(772)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, पोड़ी गरादा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, पोड़ी गरादा पंजीयन क्र. 154, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(776)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोवरांवखुर्द जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ—सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ—सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ—सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ—सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कछु नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोवरांवखुर्द पंजीयन क्र. 155, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मद्दा से जारी किया गया है।

(777)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरा मल्हाई जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरा मल्हाई पंजीयन क्र. 194, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रचई प्रसाद, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(778)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झिन्ना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झिन्ना पंजीयन क्र. 166, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रचई प्रसाद, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(779)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मसमासी कला उबारी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मसमासी कला पंजीयन क्र. 198, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रचई प्रसाद, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(780)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हर्दी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हर्दी पंजीयन क्र. 210, दिनांक 16 जुलाई, 2016 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बी. एल. कनौजी, उप. अंकेश्वर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(781)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेला जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यां, बेला पंजीयन क्र. 97 दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत बी.एल. कनौजी, उप-अंकेश्क को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(782)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवराजी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवराजी पंजीयन क्र. 167, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बी. एल. कनौजी, उप-अंकेश्वक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(783)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यपुदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोठार जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमाप्त में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोठार पंजीयन क्र. 168, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बी. एल. कन्नौजी, उप-अंकेश्वक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(784)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सन्नेही जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सन्हेही पंजीयन क्र. 169, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बी. एल. कनौजी, उप-अंकेश्वक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(785)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैकवार जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैकवार पंजीयन क्र. 170, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बी. एल. कन्नौजी, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियाँ एवं दायित्वाँ का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(786)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मौहट जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मौहट पंजीयन क्र. 171, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमाप्त में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बी. एल. कन्नौजी, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(787)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झण्ड जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमाप्त में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झण्ड पंजीयन क्र. 22, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत एन. पी. शर्मा, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(788)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घोरकाट जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं:

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घोरकाट पंजीयन क्र. 52, दिनांक 07 मई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरसी की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(789)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अबेर मल्हाई जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अबेर पंजीयन क्र. 53, दिनांक 07 मई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(790)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अकैना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अकौना, पंजीयन क्र. 63, दिनांक 07 मई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियाँ एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(791)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मतहा, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मतहा पंजीयन क्र. 110, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मद्दा से जारी किया गया है।

(792)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लौलाछ जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लौलाछ, पंजीयन क्र. 111, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(793)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तपा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तपा, पंजीयन क्र. 702, दिनांक 05 मई, 2016 को परिसमाप्त में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, व. सह. निरि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(797)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवराजपुर जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कछु नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवाराजपुर, पंजीयन क्र. 192, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(798)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 02 अगस्त, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरदुआ जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरदुआ, पंजीयन क्र. 197, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी सोनकर, सह. निरि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(799)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 02 अगस्त, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नुगरा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नुनगरा, पंजीयन क्र. 178 दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(800)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भाजीखेरा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भाजीखेरा, पंजीयन क्र. 179, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तित्वों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(801)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमरही, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमरेही, पंजीयन क्र. 180, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी सोनकर, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(802)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुरदहा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुरदहा, पंजीयन क्र. 181, दिनांक 16 जुलाई, 2016 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(803)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवराजपुर II जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कृच्छ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवाराजपुर II, पंजीयन क्र. 183, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(804)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोटा नं. 2 जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोटा नं. 2, पंजीयन क्र. 189, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी सोनकर, सह. निर्गी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(805)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लौलाछ जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लौलाछ, पंजीयन क्र. 131 दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(806)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., फुटौरीधी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., फुटौथी, पंजीयन क्र. 60, दिनांक 07 मई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजेश श्रीवास्तव, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(807)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंचनपुर जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंचनपुर, पंजीयन क्र. 62, दिनांक 07 मई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजेश श्रीवास्तव, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(808)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामस्थान II जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कछु नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, रामस्थान II, पंजीयन क्र. 64, दिनांक 07 मई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजेश श्रीवास्तव, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तित्वों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(809)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामस्थान I जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कछु नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामस्थान I, पंजीयन क्र. 96, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापक में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजेश श्रीवास्तव, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(810)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यपदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हाई जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है:

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हाटी, पंजीयन क्र. 98, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजेश श्रीवास्तव, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(811)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुसुआर जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुसुआर, पंजीयन क्र. 105, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजेश श्रीवास्तव, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरसी की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मट्टा से जारी किया गया है।

(815)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुलुवा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुलुवा, पंजीयन क्र. 107, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजेश श्रीवास्तव, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(816)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरहना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरहना, पंजीयन क्र. 108, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री ओ. पी. राय, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है. साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियाँ एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(817)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुंआ जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुंआ, पंजीयन क्र. 109 दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री ओ. पी. राय, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियाँ एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(818)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरदाड़ीह जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरदाडीह, पंजीयन क्र. 133, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री ओ. पी. राय, व. सह. निरि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तित्वों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(819)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खम्हारिया खुर्द जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कछु नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खम्हारिया खुर्द, पंजीयन क्र. 182, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री ओ. पी. राय, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(820)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनवर्षा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनवर्षा, पंजीयन क्र. 209, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री ओ. पी. राय, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तित्वों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(821)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, डिलौरी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ—सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डिलौरी पंजीयन क्र. 100, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजीव श्रीवास्तव, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(822)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बांधी जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बांधी, पंजीयन क्र. 206, दिनांक 16 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजीव श्रीवास्तव, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन नियरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(823)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, दिलौधि जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना—पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दिवौध, पंजीयन क्र. 56 दिनांक 07 मई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजीव श्रीवास्तव, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(824)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., माधवगढ़ जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., माधवगढ, पंजीयन क्र. 28, दिनांक 22 अप्रैल, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजीव श्रीवास्तव, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(825)

सतना, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1586.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./16/702, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, दिलौथ II जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दिवैध II, पंजीयन क्र. 51, दिनांक 07 मई, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजीव श्रीवास्तव, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(826)

कार्यालय परिसमापक, उदय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रईया, जिला-सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

उदय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रईया तहसील मैहर, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 204, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला सतना के आदेश क्रमांक परि./2016/1586, सतना दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(830)

कार्यालय परिसमापक, श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झोंपा, जिला-सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झोंपा तहसील मैहर, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 195, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला सतना के आदेश क्रमांक परि./2016/1586, सतना दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(831)

कार्यालय परिसमापक, श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बहेरा, जिला-सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बहेरा तहसील मैहर, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 211, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला सतना के आदेश क्रमांक परि./2016/1586, सतना दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(832)

कार्यालय परिसमापक, श्री नारायण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिनौता, जिला-सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

श्री नारायण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिनौता तहसील मैहर, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 196, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला सतना के आदेश क्रमांक परि./2016/1586, सतना दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(833)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नादन, जिला-सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नादन तहसील मैहर, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 134, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला सतना के आदेश क्रमांक परि./2016/1586, सतना दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(834)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लटागांव, जिला-सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लटागांव तहसील मैहर, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 135, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला सतना के आदेश क्रमांक परि./2016/1586, सतना दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(835)

कार्यालय परिसमापक, श्रृङ्खासुमन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महेदर, तहसील मैहर, जिला-सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

श्रृङ्खासुमन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महेदर तहसील मैहर, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 136, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला सतना के आदेश क्रमांक परि./2016/1586, सतना दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(836)

कार्यालय परिसमापक, जयबजरंग बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अजवाइन, तहसील मैहर, जिला-सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

जयबजरंग बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अजवाइन तहसील मैहर, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 137, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला सतना के आदेश क्रमांक परि./2016/1586, सतना दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(837)

कार्यालय परिसमापक, पं. दीनदयाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जरियारी, तहसील मैहर, जिला-सतना,

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

पं. दीनदयाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जरियारी तहसील मैहर, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 138, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला सतना के आदेश क्रमांक परि./2016/1586, सतना दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(838)

कार्यालय परिसमापक, रमस बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलौंहा, तहसील मैहर, जिला-सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

रमस बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलौंहा तहसील मैहर, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 139, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला सतना के आदेश क्रमांक परि./2016/1586, सतना दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(839)

कार्यालय परिसमापक, मां शारदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वंशीपुर, तहसील मैहर, जिला-सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

मां शारदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वंशीपुर तहसील मैहर, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 58, दिनांक 07 मई, 2014 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला सतना के आदेश क्रमांक परि./2016/1586, सतना दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(840)

कार्यालय परिसमापक, आदर्श बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौपड़ा, तहसील मैहर, जिला-सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

आदर्श बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौपड़ा तहसील मैहर, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 177, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला सतना के आदेश क्रमांक परि./2016/1586, सतना दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(841)

कार्यालय परिसमापक, सिद्ध बाबा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमिलिया, तहसील मैहर, जिला-सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

सिद्ध बाबा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमिलिया तहसील मैहर, जिला सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 212, दिनांक 16 जुलाई, 2014 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला सतना के आदेश क्रमांक परि./2016/1586, सतना दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

नरेन्द्र सिंह,

परिसमापक.

(842)

कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर 123, देवी अहिल्या मार्ग, श्रम शिविर, इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 31 जनवरी, 2017

क्र./परि./2016-17/591.—इन्दौर जिले की निम्नानुसार सहकारी संस्थाओं द्वारा पंजीकृत प्रयोजनों की पूर्ति विगत कई वर्षों से नहीं करने, संस्था द्वारा वार्षिक अंकेक्षण नहीं करने तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील बंद होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत पत्र क्र. 46, दिनांक 06 जनवरी, 2017 को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर चाहा गया है:-

क्र.	गृह निर्माण संस्था नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	कुल लेखा वर्षों की संख्या	लंबित लेखा वर्ष
1	2	3	4	5
1.	आदर्श सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1071/19-07-1991	11	00-01 से 04-05, 09-10 से 15-16
2.	आधार सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2519/02-02-2012	3	12-13 से 15-16
3.	बजाज टेम्पों सहकारी साख संस्था	1072/03-07-1991	3	12-13 से 14-15
4.	भारतीय महिला सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1968/04-01-2000	3	12-13 से 15-16
5.	भावना सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1992/19-07-2000	3	12-13 से 15-16
6.	भोलेनाथ सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2103/17-01-2003	3	12-13 से 15-16
7.	भविष्य सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2515/16-11-2011	4	11-12 से 15-16
8.	चित्रगुप्त सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2489/10-02-2011	4	11-12 से 15-16
9.	दि राजकुमार सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	549/23-08-1932	4	11-12 से 15-16
10.	धनश्री सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1125/16-12-1991	6	09-10 से 15-16
11.	दि सिध्देश्वर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2170/11-02-2005	11	04-05 से 15-16
12.	व्यारकेश सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1443	3	12-13 से 15-16
13.	ज्ञान सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2076/06-05-2002	4	11-12 से 15-16
14.	ग्रीन गो सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2523/14-06-2012	3	12-13 से 15-16
15.	गुड वेल्थ सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2542/21-06-2012	3	12-13 से 15-16
16.	इन्दौर नायर क्रेडिट सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	185/31-07-1997	6	07-08 से 09-10 11-12 से 15-16
17.	इन्दौर नगर निगम मस्टर कर्म. सह. साख सं., इन्दौर	1198/21-10-1992	3	12-13 से 15-16

1	2	3	4	5
18.	इन्दौर कमर्शियल क्रोडिट सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर.	2353/01-02-2008	3	12-13 से 15-16
19.	जय झूलेलाल सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2476/22-09-2011	3	12-13 से 15-16
20.	जेमैनी महिला सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2395/18-02-2009	6	08-09 से 09-10, 11-12 से 15-16
21.	जय माँ अम्बे महिला सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2342/18-07-2008	6	08-09 से 10-11 12-13 से 15-16
22.	जोबनेट सब. सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2284/13-12-2006	3	11-12 से 15-16
23.	जय अम्बे सहकारी साख संस्था मर्या., मूसाखेड़ी, इन्दौर	2509/16-06-2011	4	11-12 से 15-16
24.	जय माँ काली सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2517/14-12-2011	4	11-12 से 15-16
25.	जशगुप कर्म. सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2548/05-10-2012	3	12-13 से 15-16
26.	खालसा महिला सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2023/23-01-2001	3	12-13 से 14-15
27.	मित्र सहयोग सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1833/07-05-1997	3	12-13 से 15-1
28.	माँ शारदा सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1200/02-03-1994	7	08-09 से 15-16
29.	माँ विजासन सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1150/05-09-1992	3	12-13 से 15-16
30.	मालवा मिल क्षेत्र व्यापारियों की सह. सा. सं. मर्या., इन्दौर.	1090/04-09-1991	3	12-13 से 15-16
31.	मजदूर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1019/01-05-1990	5	09-10 से 11-12, 13-14 से 15-16
32.	मालवीय नगर सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	2099/10-12-2002	7	08-09 से 15-16
33.	मेवाड़ा कुमावत सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	.. .	4	11-12 से 15-16
34.	मातृछाया सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2471/29-12-2010	5	10-11 से 15-16
35.	माँ दुर्गा व्यापारी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2436/23-02-2010	6	09-10 से 15-16
36.	मानव सेवा सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2376/05-06-2008	3	12-13 से 15-16
37.	नवीन सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2074/22-04-2002	3	12-13 से 15-16
38.	नागरिक विकास सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1975/24-02-2000	3	12-13 से 15-16
39.	न्यू लकड़ी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2454/18-08-2010	5	10-11 से 15-16
40.	नीलकण्ठेश्वर सहकारी साख संस्था मर्या.,	275/05-09-2013	3	12-13 से 15-16
41.	ऊँ साईं राम सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2467/24-11-2010	3	12-13 से 15-16
42.	ऊँ श्री महाकालेश्वर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2377/06-06-2008	4	11-12 से 15-16
43.	प्रस्टीज सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1132/27-02-1992	5	10-11 से 15-16
44.	प्रखर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2465/04-10-2010	5	10-11 से 15-16
45.	प्रथम क्रोडिट सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2550/18-10-2012	3	12-13 से 15-16
46.	रजनी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	901/03-05-1989	3	12-13 से 15-16
47.	राजपूत समाज सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2378/09-06-2008	3	12-13 से 15-16
48.	सानंद सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2011/25-11-2000	10	05-06 से 15-16
49.	सत्यमित्र सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1797/17-09-1996	5	10-11 से 15-16
50.	श्री संत नरहरि सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1730/12-07-1995	3	12-13 से 15-16
51.	श्री दामोदर वंशीय गुजराती समाज सहकारी साख सं. मर्या., 328/04-04-1956	11	04-05 से 15-16	
52.	संजय सहकारी साख मर्या., इन्दौर	582/27-04-1981	3	12-13 से 15-16
53.	श्री लक्ष्मी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1827/28-05-1997	4	11-12 से 15-16
54.	सर्वोदय विकास सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1147/06-08-1992	3	12-13 से 15-16
55.	श्री साईं कृष्ण सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1819/27-02-1997	7	08-09 से 15-16
56.	श्री सत्य साईं सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1852/30-07-1997	4	11-12 से 15-16

1	2	3	4	5
57.	सर्वे ऑफ इंडिया एम्प. सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	719/22-07-1983	11	04-05 से 15-16
58.	साहू राठौर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1666/20-10-1994	10	05-06 से 15-16
59.	सूर्य प्रकाश मित्र मण्डल सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	360/11-01-1971	11	04-05 से 15-16
60.	सार्वजनिक सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	550/24-06-1932	8	07-08 से 15-16
61.	शासकीय महाविद्यालय कर्म. सह. साख सं. मर्या., इन्दौर	1677/29-12-1994	7	08-09 से 15-16
62.	शहीद चन्द्रशेखर आजाद सह. साख सं. मर्या., इन्दौर	1772/26-03-1996	3	12-13 से 15-16
63.	सुदामा नगर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1860/11-09-1997	3	12-13 से 15-16
64.	श्री लाभ एश्वर्या सहकारी साख संस्था मर्या.,	1946/19-04-1999	9	04-05 से 08-09, 11-12 से 15-16
65.	श्री भैरव शक्ति सहकारी साख मर्या., इन्दौर	2495/08-03-2011	5	10-11 से 15-16
66.	श्री सर्वोदय सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2402/04-06-2009	3	12-13 से 15-16
67.	शुभलक्ष्मी गृहणी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2308/	3	12-13 से 14-15
68.	सिटी क्रेडिट सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2496/02-04-2011	4	11-12 से 15-16
69.	श्री गणेश बसकार सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2541/20-06-2012	3	12-13 से 15-16
70.	श्री सार्वजनिक समर्थ सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2544/31-08-2012	3	12-13 से 15-16
71.	एस. आई. एल. सह. साख. संस्था मर्या., इन्दौर	2569/24-01-2013	3	12-13 से 15-16
72.	श्री सरस्वती महिला उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2520/02-02-2012	3	12-13 से 15-16
73.	तरुण सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1907/09-08-1998	8	07-08 से 15-16
74.	त्रिमूर्ति सह. साख सं. मर्या., इन्दौर	.	3	12-13 से 15-16
75.	बीर शहीद टंट्या मामा भील सह. साख सं. मर्या., इन्दौर	2563/13-12-2012	3	12-13 से 15-16
76.	यंग देहलवी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2432/01-01-2010	6	09-10 से 15-16
77.	श्री गणेश रेडिमेट सिलाई वस्त्र उद्योग सह. सं.	768/25-06-1984	3	12-13 से 15-16
78.	देवी अहिल्या सिलाई वस्त्र उद्योग सह. सं. मर्या., इन्दौर	676/14-10-1982	3	12-13 से 15-16
79.	इन्दौर रेडिमेट वस्त्र उद्योग सह. साख. संस्था मर्या., इन्दौर	577/20-11-1981	3	12-13 से 15-16
80.	मालवा रेडिमेट सिलाई वस्त्र उद्योग सह. साख सं. मर्या., इन्दौर.	813/23-09-1985	3	12-13 से 15-16
81.	सिध्देश्वर रेडिमेट सिलाई वस्त्र उद्योग सह. सा. सं. इन्दौर	894/26-11-1988	3	12-13 से 15-16
82.	प्रेरणा रेडिमेट होजयरी सिलाई वस्त्र उद्योग सह. संस्था	821/19-12-1985	3	12-13 से 15-16
83.	विश्वास ईट भट्टा सह. साख सं. मर्या., इन्दौर	1118/22-11-1991	3	12-13 से 15-16
84.	महिला अगरबत्ती उद्योग सहकारी सं. मर्या., इन्दौर	379/20-05-1992	3	12-13 से 15-16
85.	सार्वजनिक सिलाई वस्त्र उद्योग सह. सं. मर्या., इन्दौर	822/31-12-1985	3	12-13 से 15-16
86.	शारदा श्रम ठेका सह. सं. मर्या., इन्दौर.	1139/11-05-1992	3	12-13 से 15-16
87.	महिला गृह उद्योग सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	45/18-05-1989	3	12-13 से 15-16
88.	अभिनंदन फर्नीचर फ्रेंड्रिकेशन सह. संस्था मर्या., इन्दौर	840/31-12-1986	3	12-13 से 15-16
89.	विश्वास महिला को-आपरेटिव सोसाइटी मर्या., इन्दौर	709/17-02-1986	3	12-13 से 15-16
90.	हस्त शिल्प उद्योग सहकारी सं. मर्या., इन्दौर	829/21-07-1986	3	12-13 से 15-16
91.	गृह उद्योग सह. सं. मर्या., इन्दौर	330/01-01-1969	3	12-13 से 15-16
92.	गेलेक्सी ऑफ नॉलेज को-आप. सोसा. मर्या., इन्दौर	806/16-04-1985	3	12-13 से 15-16
93.	अनमोल ओद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1948/31-05-1999	3	12-13 से 15-16
94.	लक्ष्मी गृह उद्योग सह. सं. मर्या., इन्दौर	408/21-12-1973	3	12-13 से 15-16
95.	जन जीवन नलकूप खनन कामगार सह. सं. मर्या., इन्दौर	1683/19-01-1994	3	12-13 से 15-16
96.	नव जीवन श्रमिक कामगार सह. संस्था मर्या., इन्दौर	1655/11-10-1994	3	12-13 से 15-16
97.	संस्कृति हस्त शिल्प महिला औद्यो. सह. सं. मर्या., इन्दौर	830	3	12-13 से 15-16
98.	फेशन क्रिएटर इस्टियूट ऑफ फेशन सं. सं. मर्या., इन्दौर	2231/08-08-2006	3	12-13 से 15-16

1	2	3	4	5
99.	सुराज पैकिंग बाक्स उद्योग सह. सं. मर्या., इन्दौर	2330/11-06-2007	3	12-13 से 15-16
100.	आस्था कागज निर्माण उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2332/11-06-2007	4	11-12 से 14-15
101.	देवझिरी क्रय-विक्रय स्टेशनरी उद्योग सह. सं. मर्या., इन्दौर.	2333/11-06-2007	3	12-13 से 15-16
102.	श्रमिकों की कारीगिरी की संस्था सिंहासा, इन्दौर	..	4	11-12 से 14-15
103.	सत्यमित्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1948	3	12-13 से 15-16
104.	इन्दौर हस्त शिल्प उद्योग सह. सं. मर्या., इन्दौर	28/22-07-1998	3	12-13 से 15-16
105.	श्री गणेश आदिवासी गिट्टी पत्थर उत्थखनन सह.	2399/23-05-2009	3	12-13 से 15-16
106.	देवी अहिल्या रेल्वे पार्सल श्रम ठेका सह. संस्था मर्या., इन्दौर.	2521/14-02-2013	3	12-13 से 14-15
107.	स्वराज प्रिंटिंग एवं स्टेश. प्रोड्यूसर्स सह. संस्था	60/29-05-1989	3	12-13 से 14-15
108.	श्री लाल बहादुर शास्त्री मुद्रणालय सह. संस्था मर्या.,	321/18-01-2008	3	12-13 से 15-16
109.	सर्वोदय मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	..	3	12-13 से 15-16
110.	सहकारी मुद्रणालय प्रकाशन सह. सं. मर्या., इन्दौर	18/25-09-1959	3	12-13 से 15-16
111.	समता सहकारी प्रेस सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	249/29-02-1964	3	12-13 से 15-16
112.	भारतीय महिला प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी प्रो. सह. सं. मर्या.,	1965/04-11-1999	3	12-13 से 15-16
113.	भाविका प्रिंटिंग एड स्टेश. प्रा. सह. सं. मर्या., इन्दौर.	1969/22-04-2000	3	12-13 से 15-16
114.	श्रद्धा सहकारी मुद्रणालय सह. संस्था मर्या., इन्दौर	1993/05-08-2000	3	12-13 से 15-16
115.	भारतीय प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनरी सह. संस्था मर्या., इन्दौर	177/05-09-2013	3	12-13 से 15-16
116.	हरिजन कल्याण यातायात सह. सं. मर्या., इन्दौर	545/06-08-1991	3	12-13 से 15-16
117.	माँ बिजासन यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	546/05-10-1991	3	12-13 से 15-16
118.	दुर्गा यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	591/20-05-1992	3	12-13 से 15-16
119.	भावना यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	553/28-10-1992	3	12-13 से 15-16
120.	विकास यातायात सह. सं. मर्या., इन्दौर.	569/03-02-1992	3	12-13 से 15-16
121.	माँ कालका यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	558/03-02-1994	3	12-13 से 15-16
122.	साहिल यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	556/17-04-1993	3	12-13 से 15-16
123.	साईनाथ परिवहन को-आप. यातायात सह. संस्था मर्या.,	1716/01-03-1995	3	12-13 से 15-16
124.	प्रियदर्शनी परिवहन यातायात सहकारी संस्था मर्या.,	603/21-03-1996	3	12-13 से 15-16
125.	कलसी ऑटोमोबाईल परिवहन, सहकारिता	157/05-09-2013	3	12-13 से 15-16
126.	मारुति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देपालपुर	2450/03-06-2010	3	12-13 से 15-16
127.	श्री गणेश खाद बीज उत्पादक सह. सं. मर्या., सोनवाय	2488/10-02-2011	3	12-13 से 15-16
128.	आदित्य एग्रो बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,	2497/25-05-2011	3	12-13 से 15-16
129.	विध्यांचल बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., जामली	2499/20-05-2011	3	12-13 से 15-16
130.	बालाजी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., सुमठा	2552/26-10-2012	3	12-13 से 15-16
131.	श्री गणेश बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या.,	55/12-08-2002	3	12-13 से 15-16
132.	ममता बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., इन्दौर	68/05-09-2013	3	12-13 से 15-16
133.	किसान बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., इन्दौर	73/05-09-2013	3	12-13 से 15-16
134.	कात्या बीज उत्पा. एवं कृषि विकास सह. सं. मर्या., इन्दौर	90/05-09-2013	3	12-13 से 15-16
135.	अहिल्या बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या.,	91/05-09-2013	3	12-13 से 15-16
136.	सरदार बीज उत्पा. एवं कृषि विकास सह. सं. मर्या.,	92/05-09-2013	3	12-13 से 15-16
137.	श्री गजानंद बीज उत्पादक सह. सं. मर्या., सावरे	102/05-09-2013	3	12-13 से 15-16
138.	विनायक बीज उत्पा. एवं कृषि विकास सह. संस्था मर्या.,	104/05-09-2013	3	12-13 से 15-16
139.	नर्मदा बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या.,	192/05-09-2013	3	12-13 से 15-16

1	2	3	4	5
140.	सहारा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या.,	271/05-09-2013	3	12-13 से 15-16
141.	शक्तिपुंज महिला बहु. सह. सं. मर्या., किशनगंज	2051/11-02-2002	3	12-13 से 15-16
142.	शक्तिपुंज महिला बहु. सह. सं. मर्या., मिर्जापुर	2064/28-02-2002	3	12-13 से 15-16
143.	शक्तिपुंज बहुउद्देशीय सह. सं. मर्या., बिचौलीहप्पी,	2069/27-03-2002	3	12-13 से 15-16
144.	शक्तिपुंज बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., असरावद खुर्द	2072/10-04-2002	3	12-13 से 15-16
145.	शक्तिपुंज बहु.. सह. संस्था मर्या., कैलोद, कैलोद	2097/31-10-2002	3	12-13 से 15-16
146.	शक्तिपुंज बहु. सह. संस्था मर्या., बेरछा, बेरछा	2098/31-10-2002	3	12-13 से 15-16
147.	शक्तिपुंज बहु. सह. संस्था मर्या., जोशी गुराडिया, महू	2112/28-03-2003	3	12-13 से 15-16
148.	शक्तिपुंज बहु. सह. संस्था मर्या., कोदरिया, महू	2117/24-04-2008	3	12-13 से 15-16
149.	देवी अहिल्या बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., राऊ, इन्दौर	2155/18-05-2004	5	10-11 से 15-16
150.	प्राथ. कृषि महिला बहु. सह. सं. मर्या., हातोद, इन्दौर	2551/18-10-2012	3	12-13 से 15-16
151.	बहु. खादी ग्रामोद्योग सह. संस्था मर्या., दौलतगंज	77/05-09-2013	3	12-13 से 15-16
152.	जैविक किरण बहु. सह. संस्था मर्या., इन्दौर	99/05-09-2013	3	12-13 से 15-16
153.	आदर्श हरिजन मछुआ सहकारी सं. मर्या., इन्दौर	793/15-10-1994	5	08-09, 11-12 से 15-16
154.	जलकृषि मत्स्य उद्योग सहकारी सं. मर्या., इन्दौर	802/10-11-1984	5	10-11 से 15-16
155.	श्री गोड़िया कहर मत्स्य सह. सं. मर्या., इन्दौर	258/25-05-1963	4	11-12 से 15-16
156.	इन्दौर मत्स्य उद्योग सह. सं. मर्या., इन्दौर	71/02-09-1952	3	08-09, 11-12 से 15-16
157.	नवजीवन मत्स्य उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर	1951/19-12-1995	5	08-09, 11-12 से 15-16
158.	माझा मछुआ सहकारी सं. मर्या., जामनिया खुर्द	2001/07-11-2000	3	12-13 से 15-16
159.	आदिवासी मत्स्योद्योग मछली पालन सह. सं. पिपल्याखुर्द	2110/04-03-2003	7	08-09 से 15-16
160.	माँ भड़कली अनु. ज. जा. मछलीपालन स. सं. नाहरखेड़ी, महू.	2157/01-07-2004	4	04-05 से 15-16
161.	श्री लक्ष्मी मछलीपालन सह. सं. पंचाखेड़ी जिहोद, महू	2169/29-11-2004	5	04-05 से 15-16
162.	विध्याचल अ. ज. जा. मत्स्य पालन सह. सं. बुजुर्ग मेण,	2159/06-08-2004	5	04-05 से 15-16
163.	माँ बंजारी देवी जलकृषि मछली सह. सं. मर्या., शिवनी	2335/26-06-2007	8	07-08 से 15-16
164.	जलकृषि मत्स्योद्योग हरिजन सह. संस्था मर्या., बाबल्या	2380/26-06-2008	4	10-11, 12-13 से 15-16
165.	जलकृषि मस्योद्योग सह. सं. मर्या., खण्डवारोड़, बिलावली तालाब, रालामंडल, इन्दौर	2417/05-09-2009	7	08-09 से 15-16
166.	श्री लक्ष्मी अनु. जा. वर्ग मत्स्यपालन सह. स. खेमाना,	2620/22-10-2013	3	13-14 से 15-16
167.	न्यू मालवा हेंडलूम सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	869/08-02-1988	3	12-13 से 15-16
168.	महिला आदिवासी बुनकर सह. सं. मर्या., इन्दौर	839/10-12-1983	3	12-13 से 15-16
169.	इन्दौर बुनकर काटन हेंडलूम सह. संस्था मर्या., इन्दौर	127/90	3	12-13 से 15-16

इस जाहिर सूचना के माध्यम से उपरोक्त संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा प्रक्रियाधीन कार्यवाही के संबंध में इस कार्यालय को दिनांक 20 फरवरी, 2017 तक अपना जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा की दशा में संस्था परिसमाप्त में लाने संबंधी आदेश जारी कर दिया जावेगा।

के. पाटनकर,
उप-आयुक्त.

(661)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च, 2017-फाल्गुन 12, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 05 अक्टूबर, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील कराहल, विजयपुर (श्योपुर), मेहगांव (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, घाटीगांव (ग्वालियर), नरवर, करैरा (शिवपुरी), गौरीहार, बक्स्वाहा (छतपुर), अजयगढ़, गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), खुरई, बण्डा, सागर, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली, मालथोन (सागर), हटा, बटियागढ़, जवेरा (दमोह), नागौद (सतना), त्योंथर, मऊगंज (रीवा), सोहागपुर, जैसिंगनगर (शहडोल), जेतहरी (अनूपपुर), कुसमी (सीधी), सुबासराटप्पा, भानपुरा, मल्हारगढ़, मंदसौर, संजीत (मंदसौर), जावद, नीमच (नीमच), महिदपुर, तराना, उज्जैन (उज्जैन), शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), सीहोर, श्यामपुर, आष्टा, नसरुल्लागंज, रेहटी (सीहोर), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज (रायसेन), सिवनी-मालवा, इटारसी, पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), पाटन, मझोली (जबलपुर), पांहुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, चांद, बिछुआ, हरई, उमरेठ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), केवलारी, बरघाट, कुरई, घन्सौर, धनोरा (सिवनी), बालाघाट, लांजी, खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील श्योपुर (श्योपुर), शिवपुरी, पिछोर (शिवपुरी), पन्ना (पन्ना), बीना (सागर) पथरिया (दमोह), मैहर (सतना), हनुमना, गुढ़ (रीवा), अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), गोपदबनास, मझोली, रामपुरनैकिन (सीधी), श्यामगढ़, कयामपुर, धुन्थड़का (मंदसौर), बड़नगर (उज्जैन), शाजापुर (शाजापुर), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), कुक्की (धार), जावर, बुधनी (सीहोर), गौहरगंज, बरेली, बाड़ी (रायसेन), होशंगाबाद, बावई (होशंगाबाद) हरदा, टिमरनी (हरदा), सीहोरा (सीहोर), निवास, नैनपुर, मंडला, घुघरी (मंडला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), जुनारदेव (छिन्दवाड़ा), बैहर, किरनापुर, लालबर्रा, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.- तहसील कोलारस, बदरवास (शिवपुरी), दमोह (दमोह), रघुराजनगर, उचेहरा (सतना), रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), गोहपारू (शहडोल), कोतमा (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), सिंहावल, चुरहट (सीधी), सीतामऊ

(मंदसौर), नागदा (उज्जैन), जोवट, सोण्डवा (अलीराजपुर), डही (धार), बड़वानी, पाटी, निवाली (बड़वानी), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), पचमढ़ी (होशंगाबाद), जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), नारायणगंज (मंडला), शाहपुरा (डिण्डोरी), तामिया, सोंसर (छिन्दवाड़ा), सिवनी, लखनादोन (सिवनी), वारासिवनी, बिरसा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.- तहसील पोहरी (शिवपुरी), मझगावां, रामपुर-बघेलान, अमरपाटन, रामनगर, बिरसिंहपुर (सतना), सिरमोर, हुजूर (रीवा), ब्यौहारी, जैतपुर (शहडोल), पाली, मानपुर (उमरिया), खाचरौद, (उज्जैन), अलीराजपुर, उदयगढ़, च. शेखर आ. नगर (अलीराजपुर), बदनाबर सरदारपुर, धार, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी (धार), ठीकरी, राजपुर, सेंधवा, पानसेमल (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), सोहागपुर (होशंगाबाद), खिड़किया (हरदा), बिछिया (मंडला), बजाग (डिण्डोरी), छपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सतना, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, शाजापुर, कटनी व डिण्डोरी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.- जिला सीधी में अलसी व ग्वालियर, छतरपुर, उमरिया व कटनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.

4. फसल स्थिति-

5. कटाई.- जिला धार व होशंगाबाद में फसल सोयाबीन मुरैना में बाजरा व अनूपपुर में उड्ढ, मूँग व सीधी में धान, उड्ढ, मूँग व उज्जैन, इदौर, खरगौन, सीहोर में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, बड़वानी, जबलपुर व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 05 अक्टूबर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का शेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुखी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. फसल बाजरा की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर, मूँग, मक्का, सोयाबीन सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	21.0 8.0 4.0				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेंहगांव 5. लहार 6. मिहोना } 7. रौन } 2.0				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डुबरा 3. भितरखार 4. घाटीगांव	12.2 15.0 .. 8.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल, उड्ढ, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बद्रखास	29.0 27.0 .. 7.0 5.2 50.0 75.0 36.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्द्री 5. शाढौरा				7. .. 8. पर्याप्त.
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..
1. गुना 2. राघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज				7. .. 8. ..
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, मूँगफली, अरहर- समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. बक्सवाहा	.. 3.0 6.8				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2.	जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड्ड, मूँग, सोयाबीन तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुनौर 4. पवई 5. शाहनगर	5.2 18.2 2.0 12.0 5.2				7. .. 8. ..
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2.	जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदों, उड्ड, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	25.8 3.9 6.2 8.1 .. 5.0 4.0 4.0 8.0 7.2 ..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह : 1. हटा 2. बिट्यागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जवेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा	मिलीमीटर 3 4.3 39 28 10	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, धान, अरहर, उड़द, ज्वार, मूँग, मक्का, गन्ना, मूँगफली, तिल सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
14. जिला सतना : 1. रघुराजनगर 2. मझगवां 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. बिरसिंहपुर	मिलीमीटर 38.0 80.0 172.0 3.6 50.0 110.0 131.0 23.0 91.0	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान अधिक सोयाबीन, उड़द मूँग कम. मक्का, तिल, अरहर समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
15. जिला रीवा : 1. त्योंथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हुजूर 6. गुढ़ 7. रायपुरक-नुलियान	मिलीमीटर 7.0 123.4 9.6 21.3 153.2 32.6 40.0	2. ..	3. .. 4. (1) उड़द, मूँग अधिक. धान, सोयाबीन कम. मूँग तुअर, ज्वार समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
16. जिला शहडोल: 1. सोहागपुर 2. ब्योहारी 3. जैसिंहनगर 4. गोहपारू 5. जैतपुर 6. बुढार	मिलीमीटर 7.0 62.0 15.0 45.0 67.0 ..	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, को.-कु., तुअर, तिल, उड़द अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
17. जिला अनूपपुर : 1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़	मिलीमीटर 13.0 23.6 40.2 30.0	2. जुताई व उड़द, मूँग की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, सोयाबीन अधिक तिल कोदों कुटकी कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
18. जिला उमरिया : 1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. मानपुर	मिलीमीटर 41.4 66.0 73.0	2. रबी फसल की जुताई रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, ज्वार अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
19. जिला सीधी : 1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरसैकिन	मिलीमीटर 21.4 49.0 28.4 15.0 37.5 28.6	2. रबी फसलों की जुताई एवं अलसी की बोनी व धान, उड़द, मूँग की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुंधड़क्का 9. संजीत 10. कथामपुर	9.6 1.4 4 .. 17 21 37.2 21 2				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, उड़द, तिल, तुअर, मूँगफली, मूँग अधिक. सोयाबीन, धान कम. ज्वार समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	4.0 1.0 ..				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलोदा 6. रतलाम				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	73.0 13.0 10.0 .. 16.0 33.0 51.0				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर उड़द, मूँग. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ेदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	.. 19.0 6.0 7.0 5.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड्ड, मूँग अधिक. सोयाबीन, कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टॉकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कनोद 6. खातेगांव				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, उड्ड, सोयाबीन, कपास, मूँगफली, तुअर अधिक. धान समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड्ड, मूँगफली, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाड़ा 4. सोंडवा 5. उदयगढ़ 6. च. शेखर आ. नगर	51.8 78.6 34.0 40.0 158.2 69.4				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, कपास, गन्ना अधिक. मक्का कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	156.6 75.0 70.8 20.5 92.0 105.0 76.0 46.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सावर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अब्देकरनगर)				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, रई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. झिरन्या				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गना, मक्का, अधिक ज्वार, कपास कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	50.4				
2. ठीकरी	55.0				
3. राजपुर	107.0				
4. सेंधवा	69.0				
5. पानसेमल	57.0				
6. पाटी	50.0				
7. निवाली	45.0				
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	93.0				
2. खकनार	40.0				
3. नेपानगर	43.0				
36. *जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कठाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	10.2				
2. श्यामपुर	8.0				
3. आष्टा	12.0				
4. जावरा	18.0				
5. इशावर	..				
6. नसरुल्लागंज	6.0				
7. रेहटी	6.0				
8. बुधनी	24.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, तिल, गन्ना अधिक मूँग, सोयाबीन, मूँगफली, कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. रायसेन	17.4				
2. गैरतगंज	13.6				
3. बेगमगंज	10.0				
4. गोहरगंज	22.0				
5. बेरेली	31.0				
6. सिलवानी	50.0				
7. बाड़ी	23.0				
8. उदयपुरा	46.0				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाड़ोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. फसल सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, उड़द तुअर अधिक सोयाबीन, मूँगमोठ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	5.2				
2. होशंगाबाद	21.0				
3. बावई	18.0				
4. इटारसी	10.8				
5. सोहागपुर	54.0				
6. पिपरिया	6.2				
7. बनखेड़ी	10.6				
8. पचमढ़ी	41.2				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	18.2				
2. खिड़किया	76				
3. टिमरनी	20.8				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, तुअर, मक्का, कोदों-कुटकी अधिक. उड़द कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	23.2				
2. पाटन	12.2				
3. जबलपुर	47.0				
4. मझोली	17.4				
5. कुण्डम	46.8				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराजौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. *जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेंगांव 5. तेंदूखेड़ा				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, मक्का, सन्, को कुटकी, तुअर, उड़द, तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	24.2 67.2 26.0 22.4 34.6 46.8				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. खबी फसल की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, को कुटकी तुअर, उड़द, रामतिल समान (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा	33.4 56.7 36.3				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा 2. जुनारदेव 3. परासिया 4. तामिया 5. सोंसर 6. पांदुणी 7. अमरवाड़ा 8. उमरेठ 9. चौरई 10. चांद 11. बिछुआ 12. हरई 13. मोहखेड़ा	12.8 34.8 11.1 47.0 41.0 8.3 8.2 8.3 8.0 10.2 10.4 12.2 14.2				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, को-कु, मक्का, तुअर, उड़द, मौँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन, गन्ना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादोन 4. बरधाट 5. कुरई 6. घंसोर 7. घनोरा 8. छपारा	40.80 7.20 42.0 15.30 12.0 15.0 12.10 56.0				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर 7. खैरलांजी 8. लालबर्बा 9. बिरसा	11.8 12.0 25.0 47.6 .. 24.4 5.0 28.0 40.0				

टीप० *झिलांजुना, सिंगरौली, रस्तीम, खंडवा, राजगढ़, बैतूल, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।